हार्ट वॉकाथॉन: हृदय स्वास्थ्य का संदेश लेकर सड़कों पर उतरे रनर्स-वॉकर्स

'हृदय रोगों से बचाव के लिए रोकथाम के साथ समय पर पहचान और उपचार भी जरूरी'

जयपुर। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नारायणा हॉस्पिटल जयपुर की ओर से हार्ट वॉकाथॉन आयोजित किया गया। 'मेक एवरी चॉइस, ए हार्ट फर्स्ट चॉइस!' थीम पर आयोजित कार्यक्रम में फिटनेस प्रेमियों, रनर्स और वॉकर्स ने उत्साह के साथ भाग लिया। पिकसिटी रनर्स और बॉक्स एफएम इस पहल से एसोसिएट्स के रूप में जुड़े।

कार्यक्रम में फिटनेस प्रेमियों, रनर्स और वॉकर्स ने उत्साह के साथ भाग लिया।

- **प्रशिक्षण के दौरान कार्डियक इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने और जीवन बचाने वाली तकनीकों का प्रशिक्षण दिया**

इस कार्यक्रम की शुरुआत नारायणा हॉस्पिटल प्रताप नगर से हुई। वॉकाथॉन से पहले प्रतिभागियों के लिए जुम्बा सेशन आयोजित किया गया, जिसके जरिए शारीरिक सक्रियता और फिटनेस का संदेश दिया गया। इसके साथ ही प्रतिभागियों को बीएलएस (बेसिक लाइफ सपोर्ट) और सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कार्डियक इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने और जीवन बचाने वाली तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद प्रतिभागियों ने हार्ट वॉकाथॉन में हिस्सा लिया।

नारायणा हॉस्पिटल जयपुर के डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉ. देवेंद्र श्रीमाल और डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी डॉ. सौरभ जायसवाल ने कहा कि हृदय रोगों से बचाव के लिए रोकथाम के साथ समय पर पहचान और उपचार भी जरूरी है। सीने में दर्द, सांस फूलना, असामान्य थकान या अचानक चक्कर आने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच और जोखिम कारकों की निगरानी से हृदय संबंधी समस्याओं की समय रहते पहचान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बीएलएस और सीपीआर का प्रशिक्षण आम लोगों को कार्डियक इमरजेंसी में शुरुआती और महत्वपूर्ण सहायता देने के लिए तैयार करता है।

नारायणा हॉस्पिटल जयपुर एवं मुंबई के डायरेक्टर बलविंदर सिंह वालिया ने कहा कि विश्व हृदय दिवस लोगों को हृदय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का अवसर देता है। सामुदायिक आयोजन स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं। इस पहल का उद्देश्य सक्रिय एवं स्वस्थ जीवनशैली के साथ बीएलएस और सीपीआर जैसी जीवनरक्षक तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. प्रदीप कुमार गोयल ने कहा कि स्वस्थ हृदय की दिशा में रोजमर्रा की आदतों में छोटे बदलाव महत्वपूर्ण हैं। नियमित वॉक, शारीरिक गतिविधि, बेहतर खान-पान और पर्याप्त आराम को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।

बैंककर्मी बनकर बुजुर्ग के बैंक खाते से 1.57 लाख निकाले

- **बैंक ऑफ बड़ौदा से फोन आने पर बुजुर्ग को धोखाधड़ी का पता चला**

जयपुर। जवाहर नगर थाना इलाके में बैंककर्मी बनकर एक 69 वर्षीय बुजुर्ग से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ने बैंक कर्मी बनकर बुजुर्ग से उनके बैंक खाते की पूरी जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद अज्ञात आरोपी ने खाते से 1 लाख 57 हजार 500 रुपए निकाल लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की जवाहर नगर शाखा से फोन आने पर बुजुर्ग को खाते में हुई धोखाधड़ी का पता चला।

थानाधिकारी सरला यादव ने बताया कि सिंधी कॉलोनी निवासी 69 वर्षीय बुजुर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पास एक व्यक्ति का फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताया और बैंक खाते से संबंधित जानकारी मांगी। बुजुर्ग उसके झांसे में आ गए और आरोपी को अपने बैंक खाते की पूरी डिटेल दे दी।

इसके बाद 26 सितंबर की सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच बुजुर्ग के पास बैंक ऑफ बड़ौदा, जवाहर नगर शाखा से फोन आया। बैंक कर्मियों ने उन्हें खाते में फ्रॉड होने की जानकारी दी। इसके बाद बुजुर्ग ने तत्काल अपना बैंक खाता ब्लॉक करवाया और ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अज्ञात व्यक्ति ने बुजुर्ग के बैंक खाते से कुल 1,57,500 रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस अब रकम किन खातों में ट्रांसफर हुई और वारदात में कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटा रही है।

जयपुर में इंडिया एनर्जी वीक 2027 का कर्टन रेजर

जयपुर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की ओर से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (जीआईटी), जयपुर में इंडिया एनर्जी वीक2027 के समानांतर कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जयपुर के विभिन्न कॉलेजों से 380 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों को ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलावों, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक, नवाचार, उद्यिमता और रोजगार के उभरते अवसरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय इंडिया एनर्जी वीक 2027 के कर्टन रेजर से लाइव जोड़ा गया।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्व. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री श्याम लाल तीर्थानी की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान पति श्याम लाल तीर्थानी, पुत्री श्रीमती कशिश केसनानी व श्रीमती सिद्धि वासवानी ने जयपुर नगर चौकड़ी, तोपखाना देश, खजाना वाली का रास्ता की पूर्व लाइन मे, निकट गली श्री बद्रीनाथ जी के उत्तरी नुक्कड़ पर एक छोटी दुकान पश्चिममुखी (वर्तमान मे दुकान नं. A-25) का अपना हिस्सा अपने पुत्र/भाई मेरे अभिभाष्य श्री अजय तीर्थानी के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। उक्त संपत्ति व हक त्याग पर किसी व्यक्ति, बैंक या संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिन मे साक्ष्य सहित संपर्क करे। समयावधि पश्चात कोई दावा मान्य नही होगा।
जयपुर (मनोज कुमार वर्मा) एडवोकेट
दिनांक 29/09/2026 मो. नं. 9928981091

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण खुर्शीद अहमद पुत्र श्री अब्दुल हमीद एवं श्रीमती रूकसान पत्नी खुर्शीद अहमद निवासीगण - 129, नाग तलाई, हुडको योजना, सूरजपोल, जयपुर-302003 अपने पुत्र मेहरबान एवं पुत्रवधु फरीन मेरे अभिभाष्यगण के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट करते है, मनमर्जी कर रहे है, मेरे अभिभाष्यगण की सेवा-सुश्रुषा नही करते है एवं जिस कारण मेरे अभिभाष्यगण अपने पुत्र मेहरबान एवं पुत्रवधु फरीन को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करते है। भविष्य मे कोई भी व्यक्ति मेरे अभिभाष्यगण के पुत्र एवं पुत्रवधु से किसी भी प्रकार का संव्यवहार करता है तो इसका जिम्मेदार वह स्वंय होगा, मेरे अभिभाष्यगण की इसमे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी। सूचित रहे।
समीर खान, एडवोकेट, मो.-8503971896

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक 3344 **आम जाहिर सूचना** दि.29.09.2026
राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या 8/MB/328 इन्दिरा गांधी नगर (जगतपुरा), जयपुर क्षेत्रफल 128.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री भीरीलाल, श्री बिरदीचन्द, श्री छीतर पुत्रान श्री नैन्या जाति मीणा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2069 दिनांक 19.10.2006 जारी किया गया था। खातेदारी श्री भीरीलाल, श्री बिरदीचन्द, श्री छीतर पुत्रान श्री नैन्या जाति मीणा के द्वारा भूखण्ड का मुख्यारनामाआम श्री लल्लुराम यादव पुत्र श्री कालूराम यादव को नियुक्त किया गया। उक्त मुख्यारनामाआम कार्यालय उप पंजीयक सांगानेर प्रथम में दिनांक 30.11.2006 को पंजीबद्ध करवाया गया है। तत्पश्चात मुख्यारनामाआम धारक श्री लल्लुराम यादव पुत्र श्री कालूराम यादव के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री महेश भारद्वाज को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 27.02.2007 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री महेश भारद्वाज के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री ललित शर्मा को कर, विक्रय का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर चतुर्थ में दिनांक 22.12.2007 को पंजीबद्ध करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री ललित शर्मा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती गुलाब बाई मीना पुत्री श्री कैलाश प्रसाद मीना को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र को कार्यालय उप पंजीयक जयपुर चतुर्थ मे दिनांक 01.02.2021 को पंजीबद्ध करवाया गया। श्रीमती गुलाब बाई मीना पुत्री श्री कैलाश प्रसाद मीना के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का हस्तान्तरण अपने पक्ष में कर भूखण्ड का नवीन पट्टा अपने पक्ष में जारी करने का निवेदन किया गया है। उक्त के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ती हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती गुलाब बाई मीना पुत्री श्री कैलाश प्रसाद मीना का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर उनके पक्ष में उक्त भूखण्ड का नवीन पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जायेगी। सम्पदा प्रबंधक- राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय, जयपुर।

कार्यालय ग्राम पंचायत बहड़
पंचायत समिति निवाई (टोंक-राज.)
पत्रांक-ग्रा.प.2026-27/32 दिनांक-23/09/2026
आपत्ति आमंत्रण
स्वामित्व योजनान्तर्गत ड्रोन इमेज व सर्वे का आपत्ति पत्रांक स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की समयावधि में पट्टा वितरण श.प. नियम 1996 के नियम 48 के प्रबन्धन सार 1 माह के आपत्ति नोटिस के सम्बन्ध में सर्व सम्मति को सूचित किया जाता है कि ग्रा.प.बहड़ के राजस्व ग्राम बहड़, खेडा की आबादी भूमि के सीमाज्ञान व ड्रोन सर्वे उपरान्त भारतीय सर्वेक्षण विभाग के MAP 2.0 नक्शे प्राप्त हुए है। प्राप्त ड्रोन इमेज व ग्राम स्तरीय कमेट द्वारा किये गये सर्वे का आमजन के अवलोकन हेतु विभिन्न सदस्यो को ग्रा.प.नोटिस पट्ट आदि स्थानो पर चस्पा व प्रकाशित किया गया जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त नक्शो के आबादी भूमि को सीमा प्रदर्शित प्रोपट्री की माप, क्षेत्रफल प्रोपट्री धारक के तथ्य आदि की किसी प्रकार की अशुद्धि, त्रुटि हो तो अपने आपत्ति मय सम्बन्धित दस्तावेज नोटिस प्रकाशन के 1 माह की अवधि मे ग्रा.प. कार्यालय मे प्रस्तुत करें, बाद में विवाद आपत्तियों पर विचार विमर्श नहीं किया जायेगा।
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बहड़
पंचायत समिति निवाई (टोंक)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं.-26, चौमू, जयपुर महानगर-II
बदरी प्रसाद माली विरूद्ध राधेश्याम व अन्य
वाद बाबत विशिष्ट अनुपालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा
बाद सं. 84/2021
बनाम **1.** शम्भु देवी पुत्री स्व. श्री रामनारायण,
2. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व. श्री रामनारायण,
3. सुमित्रा देवी पुत्री स्व. श्री रामनारायण जाति महाजन स्थान प्लॉट नं. E-83, केसर कुंज, शास्त्री नगर, जयपुर
वादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 31.10.2026 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद तारीख 19.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। आज्ञा से
अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं.-26, जयपुर महानगर द्वितीय चौमू

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं.-26, चौमू, जयपुर महानगर-II
बदरी प्रसाद माली विरूद्ध राधेश्याम व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र संख्या 89/2021
बनाम **1.** सुशीला देवी पुत्री स्व. श्री रामनारायण,
2. सुमित्रा देवी पुत्री स्व. श्री रामनारायण,
3. श्रीमती शम्भु देवी पुत्री स्व. श्री रामनारायण जाति महाजन पता प्लॉट नं. E-83, केसर कुंज, शास्त्री नगर, जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 31 माह 10 सन् 2026 को 10.00 am पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 19.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं.-26, जयपुर महानगर द्वितीय चौमू

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर खण्ड-भरतपुर
राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 124 भ 2026 (17)
चूंकि कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती सीमा पत्नी श्री यदवेन्द्र सिंह सैनी पक्का बाग, बछामदी, भरतपुर (राज.) ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(2) के अन्तर्गत माँ लक्ष्मी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान बझेरा, भरतपुर (राज.) प्रन्यास के संबंध में जांच दिये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिवस के भीतर उक्त जांच के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
नोटस-आज दिनांक 11.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मौहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 16.11.2026 है। (ओमप्रकाश)
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर

कानोता थाने में तीन अक्टूबर को पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई

जयपुर। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल तीन अक्टूबर, शनिवार को पुलिस थाना कानोता में जनसुनवाई करेंगे। जनसुनवाई का आयोजन सुबह 11.30 से दोपहर 1.30 बजे तक होगा।यह जनसुनवाई में बस्सी सर्किल के कानोता, बस्सी और तुंगा थाना क्षेत्रों से जुड़े परिवादियों की समस्याएं सुनी जाएंगी। पुलिस कमिश्नर संबंधित परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों को सुनेंगे और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। इसके बाद बस्सी सर्किल की अपराध गोष्ठी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें क्षेत्र में अपराध की स्थिति और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का मौके पर समाधान कर उन्हें राहत पहुंचाना तथा पुलिस और आमजन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है।

अस्पतालों के आसपास खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

जयपुर । प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि जयपुर प्रथम में कांवटिया हॉस्पिटल परिसर तथा जयपुर द्वितीय में बॉम्बे हॉस्पिटल के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं नमूनीकरण किया गया। बारां में मेडिकल कॉलेज के सामने खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान अनुपयुक्त खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई। अलवर के कल्याण हॉस्पिटल एवं शुभम हॉस्पिटल में अवधि-पार आइसक्रीम एवं खराब फल पाए गए, जिन्हें मौके पर नष्ट करवाया गया। वहीं कोटा के एथॉस हॉस्पिटल की कैंटीन में बिना लेबल की ब्रेड नष्ट करवाई गई।

चूरू के सरदारशहर स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास सिद्धिविनायक मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई के दौरान 3 किलोग्राम खराब आलू, 10 किलोग्राम अवधि-पार कोल्ड ड्रिंक एवं 40 किलोग्राम मिठाई, कुल 53 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई। प्रतिष्ठान को सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया।

इसी प्रकार छोटूलाल राजकीय अस्पताल, सरदारशहर स्थित सरस बूथ नंबर 9 पर अवधि-पार खाद्य सामग्री मिलने पर उसे मौके पर नष्ट करवाया गया तथा सुधार नोटिस की कार्रवाई प्रस्तावित की गई।इसी प्रकार तिजारा जिला अस्पताल के सामने 45 लीटर अवधि-पार कोल्ड ड्रिंक नष्ट करवाई गई।

झुंझुनूं के नवलगढ़ स्थित आभा हॉस्पिटल, टोंक के ओझा हॉस्पिटल तथा बानसूर के राजकीय अस्पताल के पास सुखसागर पवित्र भोजनालय में निरीक्षण एवं नमूनीकरण किया गया।

दो दर्जन से अधिक वारदातों का आरोपी नकबजन गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर दक्षिण जिले में चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सांगानेर सदर थाना पुलिस ने एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार कर सूने मकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गया शत-प्रतिशत माल, जिसमें नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और घरेलू सामान शामिल है, बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में भी चोरी और नकबजनी की 24 से अधिक वारदातों में चालानशुदा रहा है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजू उर्फ अर्जुन (27) पुत्र लड्डूलाल शर्मा, निवासी नसिया जी कॉलोनी, थाना देही, जिला बूंदी, हाल खानाबदोश, सांगानेर पुलिया के नीचे, थाना सांगानेर, जयपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसके कब्जे से वारदात में चोरी किया गया 100 प्रतिशत माल बरामद कर लिया गया। इसमें नकदी, सोने-चांदी के जेवरात और घरेलू सामान शामिल है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके द्वारा पूर्व में की गई अन्य चोरी और नकबजनी की वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

पुलिस के अनुसार राजू उर्फ अर्जुन आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में चोरी व नकबजनी के 24 से अधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें वह चालानशुदा है। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य संभावित वारदातों के संबंध में भी जांच कर रही है।

बैठक आयोजित

जयपुर। सांगानेर थाना परिसर में मंगलवार को स्पेशल पुलिस कमिश्नर जयपुर ओमप्रकाश पासवान की अध्यक्षता में सीएलजी और युवा सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, आमजन की सुरक्षा, पुलिस गश्त, नशाखोरी, महिला अपराध, साइबर अपराध और यातायात व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएलजी सदस्यों ने क्षेत्र की जमीनी समस्याएं पुलिस अधिकारियों के सामने रखते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की जरूरत बताई।

बैठक में पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा, सांगानेर सहायक पुलिस आयुक्त दीपक कुमार खंडेलवाल और सांगानेर थानाधिकारी हरबेंदर सिंह सहित सीएलजी व युवा सीएलजी सदस्य मौजूद रहे।

स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने कहा कि आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित सहायता के लिए 112 का इस्तेमाल किया जाए। वहीं साइबर ठगी या ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किए 1930 साइबर हेल्पलाइन पर सूचना देने की अपील की। उन्होंने कहा कि समय पर सूचना मिलने से ठगी की रकम को होल्ड कराने की कार्रवाई में मदद मिल सकती है।

गर्भवती चाची की गला दबाकर हत्या करने वाला गिरफ्तार

जयपुर। बिंदायका थाना इलाके की प्रेस्टीज गार्डन कॉलोनी में छह माह की गर्भवती महिला की हत्या कर शव मकान के सामने बने लॉन में दफनाने के मामले का पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी प्रवेश रावत (22) पुत्र रामू को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मृतका किरण (32) आरोपी की रिश्ते में चाची लगती थी और दोनों जनवरी से जयपुर में साथ रह रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि प्रवेश को किरण के किसी अन्य व्यक्ति से बात करने का शक था। इसी को लेकर विवाद के बाद उसने कथित तौर पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

- **दूसरे से बात करने के शक में वारदात का आरोप**
- **फिल्मों से आया शव ठिकाने लगाने का आइडिया**

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रावत को गिरफ्तार किया।

हत्या के बाद आरोपी ने मकान के सामने लॉन में गड्ढा खोदा और शव को दफना दिया। पुलिस के अनुसार उसने शव के ऊपर नमक भी डाला था। वारदात के बाद मकान पर ताला लगाकर वह सामोद हनुमान मंदिर की यात्रा में शामिल हुआ और बाद में फैक्ट्री में काम करता रहा। 27 सितंबर को मकान से दुर्गंध आने और मिट्टी में महिला का हाथ दिखाई देने पर वारदात का खुलासा हुआ था। पुलिस ने शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल भेजा था।

डीसीपी जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण के अनुसार शव मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। प्रवेश मोबाइल बंद कर जयपुर से बाहर भाग गया। जांच में पता चला कि 27 सितंबर की सुबह वह फैक्ट्री गया और ठेकेदार से 500 रुपए उधार लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर उसका पीछा किया। मोबाइल चालू होने पर मिली लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने उसे यूपी की ओर जाते समय पकड़ा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी में बिंदायका थानाधिकारी अनिल जैमिनी के नेतृत्व वाली टीम और आसूचना अधिकारी श्रीराम की भूमिका रही।पुलिस पूछताछ में सामने आया कि किरण और प्रवेश के बीच संबंध थे। पुलिस के अनुसार प्रवेश जनवरी में किरण को उसके घर से अपने साथ जयपुर ले आया था। दोनों करीब दो माह से प्रेस्टीज गार्डन कॉलोनी के किराए के मकान में रह रहे थे।

चेहरे की लकवाग्रस्त नस, सर्जरी से रिकवरी

जयपुर। चेहरे की नस के पूरी तरह लकवाग्रस्त होने यानी ग्रेड 6 फेशियल नर्व पाल्सी और कान की अंदरूनी संरचना में फिस्टुला के कारण लगातार तेज चक्कर से परेशान 55 वर्षीय महिला का सीके बिरला हॉस्पिटल्स, जयपुर में सफलतापूर्वक इलाज किया गया।

अस्पताल के वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉ. अमित नाहटा और उनकी टीम ने जटिल सर्जरी कर चेहरे की नस की कार्यक्षमता को सामान्य करने के साथ लगातार हो रहे चक्कर की समस्या को भी समाप्त किया। डॉक्टरों के अनुसार, ग्रेड 6 जैसी गंभीर अवस्था के बाद मरीज का पूरी तरह सामान्य होना दुर्लभ माना जाता है।डॉ. अमित नाहटा ने बताया कि फेशियल नर्व पाल्सी की गंभीरता को आमतौर पर हाउस-ब्रैकमैन ग्रेडिंग से समझा जाता है। इसमें ग्रेड 6 सबसे गंभीर अवस्था है, जिसमें प्रभावित हिस्से में चेहरे की मांसपेशियों की स्वैच्छिक गतिविधि पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इससे चेहरा एक तरफ झुक सकता है, आंख पूरी तरह बंद नहीं हो पाती और बोलने, खाने-पीने तथा चेहरे के भाव प्रदर्शित करने में परेशानी हो सकती है। आंख बंद न होने पर उसकी सतह के सूखने और नुकसान का खतरा भी रहता है। मरीज में इसके साथ लैबिरिंथाइन फिस्टुला भी था। इसमें कान के अंदर संतुलन और सुनने से जुड़ी संवेदनशील संरचना में असामान्य छेद बन जाता है।

संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं : मुख्य सचिव

जयपुर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में संस्कृत भाषा एवं शिक्षा के संरक्षण,संवर्धन और विभागीय गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि संस्कृत समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है,जिसे सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने संस्कृत भाषा में उपलब्ध ताम्रपत्रों का उचित कैटलॉग तैयार कर उनका डिजिटल रूपांतरण करने के निर्देश दिए,ताकि इस ऐतिहासिक सामग्री को सुरक्षित रखते हुए भावी पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाया जा सके।

मुख्य सचिव ने संस्कृत के अध्ययन,अनुसंधान और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। इनमें प्रदेश और देश के प्रमुख विद्वानों एवं विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए।

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

- **राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं के आयोजन और संस्कृत शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर**

मुख्य सचिव ने संस्कृत विद्यालयों में संचालित कार्यक्रमों और पढ़ाए जा रहे विषयों की समीक्षा करते हुए शिक्षा को रोजगार एवं कैरियर के अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराए जाएं।उन्होंने पीएम विद्यालयों की तर्ज पर प्रधानाचार्यों एवं प्राचार्यों को आमंत्रित कर संस्कृत भाषा पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए,ताकि संस्कृत शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों में रुचि बढ़े तथा इसे मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। बैठक में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु मदन मोहन झा, विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार गुंजन सोनी,संस्कृत शिक्षा विभाग की आयुक्त प्रियंका जोधावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

खोया पाया
मेरे भूखण्ड संख्या 1024 डॉ. बी.र. अम्बेडकर योजना,आगरा रोड, जयपुर की जविप्रा द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र मेरे नि